

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक - 2202/2ई0व0भू0,
सेवा में,

दिनांक 09/09/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

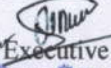
विषय :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 161/FP/UK/ROAD/47027/2020 दिनांक 15 जुलाई, 2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची अंकित नहीं है, पृष्ठ संख्या के अनुसार प्रेषित करें।	प्रस्ताव में विषयसूची पृष्ठ संख्या के अनुसार अंकित कर तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं
2	प्रस्ताव में भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 को तैयार कर तीन मूल प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित करें, ताकि प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।	प्रस्ताव में भाग-1 की चार मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं
3	प्रस्ताव की दो प्रतियाँ प्रेषित की गई हैं, जबकि प्रस्ताव तीन प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रेषित किया जाना है।	प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र Comparative Statement of various alignment मूल प्रति में प्रेषित किया जाना है, जबकि आपके द्वारा छायाप्रति में संलग्न किया गया है।	Comparative Statement of various alignment की मूल प्रति मात्र विभाग में दो ही होते हैं, एक प्रति वृत्तीय कार्यालय में तथा एक प्रति खण्ड में रिकार्ड हेतु रखा जाता है। अतः उक्त की रंगीन फोटो कापी कर 4 प्रतियों में संलग्न की जा रही हैं।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र- खसरा खतौनी मूल प्रति में प्रेषित की जानी है, जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में खसरा खतौनी की छायाप्रति संलग्न की गयी है।	राजस्व विभाग से खसरा खतौनी की एक ही मूल प्रति खण्ड को उपलब्ध कराई जाती है, जिसे रिकार्ड हेतु रखा जाता है। अतः उक्त की रंगीन फोटो कापी कर 4 प्रतियों में संलग्न की जा रही हैं।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-28 के आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं हैं।	प्रपत्र-28 के आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2.24.1 के वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं हैं।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2.24.1 के वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
8	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2 के भाग 1 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाने वाले प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं हैं।	क्रमांक 2 के अनुसार।
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-3 भग-1। उप वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र में दिनांक अंकित नहीं हैं।	आपके स्तर से निस्तारण किया जाना है।
10	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-7 के प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं हैं।	आपके स्तर से निस्तारण किया जाना है।


 Executive Engineer
 Provincial Division PWD
 Bageshwar
 प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग
 बागेश्वर